B-34
L-06
I. Polity.

मूल अधिकार मूल क्यों

• यदि राज्य के द्वारा निर्मित किसी विधि से मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। (अनु० 13 (2))

• अनु० 13(2) की उच्चतम ने व्याख्या करते हुए पृथक्करणीयता का सिद्धांत दिया।
(Doctrin of Severeability)

• लेकिन भारत में पूर्व संवैधानिक विधियाँ भी विद्यमान हैं:-

उदाहरण → - जेल अधिनियम -1899
- समाज पंजीकरण अधिनियम - 1860

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

• यदि पूर्व संवैधानिक विधियों और मूल अधिकार के बीच टकराव होता है तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेंगे। जिसे 'आच्छादन का नियम' कहा जाता है। (Doctrine of Eclipse)

• उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि मूल अधिकारों के परित्याग का अधिकार नहीं है (Doctrine of waiver) किसी भी व्यक्ति को।

Scanned by CamScanner

मूल अधिकारों के प्रकार :-

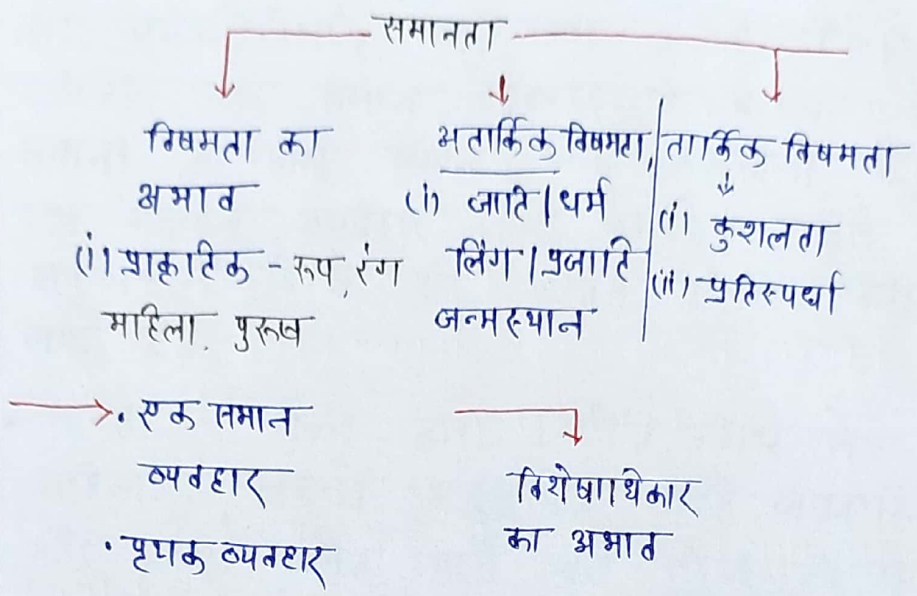

ब्रिटेन भारत और अमेरिकी संविधान में समानता :-

- अनु० 14 में विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटेश संविधान से लिया गया है जिसके अनुसार सभी व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, विधि के समक्ष समानता के इसी विचार को विधि का शासन अथवा विधि की सर्वोच्चता का विचार कहा जाता है।
- भारत में संसद अथवा विधान सभा द्वारा निर्मित सभी विधियाँ समान रूप से सभी पर लागू होती हैं चाहे व्यक्ति का पद, हैसियत, जाति या धर्म कुछ भी हो।

Scanned by CamScanner

• सभी के साथ एक समान व्यवहार समानता का नकारात्मक अर्थ है क्योंकि व्यक्ति की परिस्थितियाँ एक समान नहीं हैं इसीलिए एक समान व्यवहार के बजाय समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए जिसे अनु०14 में विधि का समान संरक्षण कहा गया है।

• भारत में राज्य द्वारा निर्मित विधि से महिलाओं, बच्चों अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित वर्गों को संरक्षण दिया गया है जो विचार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है।

सकारात्मक भेदभाव का आधार :-

• अनु०14 में सकारात्मक भेदभाव के किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है और संसद विधि के द्वारा या कार्यपालिका अपनी नीतियों के द्वारा ऐसा भेदभाव कर सकती है।

• उच्चतम न्यायालय इस भेदभाव की समीक्षा करता है क्योंकि भेदभाव मनमाना अथवा अतार्किक नहीं होना चाहिए न्यायालय प्रत्येक वाद में यह निर्धारित करता है। न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित

Scanned by CamScanner

आधार पर किए गए भेदभाव को तार्किक माना जा सकता है-

(i) भौगोलिक आधार पर भेदभाव संभव है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों को पुलिस अथवा सेना में भर्ती के लिए शारीरिक मानकों में छूट दी जा सकती है।

(ii) व्यवसाय के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है क्योंकि सेना और प्रशासन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता शिक्षकों की भाँति नहीं हो सकती।

(iii) सामाजिक, शैक्षिक अथवा लैंगिक विषमता के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है।

विधि के समक्ष समानता के अपवाद

- राष्ट्रपति राज्यपाल (अनु० 361)
- व्यवहारिक राजदूत

विशेषाधिकार पद पर रहने के दौरान

- इन्हें हिरासत में नहीं लिया जायेगा
- न तो इनके विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी, न ही बनी रहेगी।
- किसी आधिकारिक कार्य के लिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

सिविल मामले में

(i) कार्यवाही सम्भव है।

(ii) 2 महीने पहले नोटिस

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner